

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 14/2019

अनवान : -

1. जयप्रकाश पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. जसवीर सिंह पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. दिलावर सिंह पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

-प्रार्थीगण

बनाम्

1. रामादेवी पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

-अप्रार्थीगण

5. हरीदेवी पत्नी स्व0 सुरेश कुमार जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. ममता पुत्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. इन्द्रावती पुत्री हरदेवाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. मदना पुत्री हरदेवाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

-तरतीवी गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट



उपस्थिति :-श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 15/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 6 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 18/17 के प0न0 362/446 मु0न0 47 के किला न0 4 ता 7 व 13 ता 15 की कुल 2.0240, प0न0 363/466 मु0न0 48 के किला न0 1-10-11 की 0.759 हैक्ट कुल 2.7830 हैक्ट भूमि के प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण स0 5 ता 9 के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 6 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 68/68 के प0न0 362/465 मु0न0 45 के किला न0 21 की 0.253 हैक्ट, प0न0 362/466 मु0न0 47 के किला न0 1 ता 3 व 9 ता 12 व 19 ता 20 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल गांव से चलकर स्वीकृत शुदा रास्ता से होते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के खेत चक 6 आरएमजी तहसील नोहर के प0न0 362/466 मु0न0 47 के किला न0 1, 2 व 3 के पश्चिम से पूर्व चलकर अपने खेत में प्रवेश करता है यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। सायल का यही रास्ता सबसे सुविधाजनक व नजदीकी है इसके सिवाय आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अत प्रार्थना पत्र पेश कर  है कि चक 6 आरएमजी तहसील नोहर के प0न0 362/466 मु0न0 47 के किला न0 1  3 के पश्चिम से पूर्व में एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार नोहर से रास्ता बाबात रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिसत तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 101/99 के कुल खसरे 30 की कुल तादादी 6.5780 है० भूमि का सायलान एवं तरतीवी गैरसायलान संख्या 3 ता 16 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा चक 6 आरएमजी तहसील नोहर के प0न0 362/466 मु0न0 47 के किला न0 1, 2 व 3 के पश्चिम से पूर्व में एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सायल का कथन है कि उक्त रास्ता के अलावा सायल को अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता है। तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार सायलान वर्तमान में रोही मौजा चक 6 आरएमजी तहसील नोहर के प0न0 362/466 मु0न0 47 के किला न0 1, 2 व 3 के पश्चिम से अपनी खातेदारी में प्रवेश करते हैं। किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना आवश्यक है एवं नजरीय नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रास्ता सुविधाजनक एव नजदीकी है इससे अधिक नजदीकी रास्ता सायल की भूमि में जाने के लिये उपलब्ध नहीं है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्धा रास्ता से सायलान की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतीत होता है अर्थात् सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 आरएमजी तहसील नोहर के प0न0 362/466 मु0न0 47 के किला न0 1, 2 व 3 के पश्चिम पश्चिम से पूर्व में पत्थर लाईन के चिपते हुए एक-एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं रास्ता के बदले की भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि में से में से कम की जाकर अप्रार्थी स0 1 ता 3 के नाम चिपती हुई भूमि दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर